

प्रेस नोट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाये जा रहे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बड़ागाँव के कुशल निर्देशन में व थानाध्यक्ष बड़ागाँव के नेतृत्व में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की धर-पकड़ हेतु पुलिस टीम बनाकर अभियान चलाया गया। जिसके क्रम में अभियुक्त लाल परीखन राजभर पुत्र स्व० देवराज राजभर उम्र 48 वर्ष निवासी कविरामपुर, थाना-बड़ागाँव, वाराणसी को 20 ली० अवैध नाजायज कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

विवरण गिरफ्तारी:- आज दिनांक 25.08.20 को उ०नि० अनिल कुमार मय हमराह का० संजय राज व का० प्रिंस यादव के द्वारा संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु व बिना मास्क के व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी कि मुखबीर खास की सूचना के आधार पर अभियुक्त लाल परीखन राजभर पुत्र स्व० देवराज राजभर उम्र 48 वर्ष निवासी कविरामपुर, थाना – बड़ागाँव, वाराणसी को एक पिपिया में 20 ली० अवैध कच्ची शराब के साथ करवल बस्ती तिराहा बड़ागाँव, वाराणसी के पास से समय 13.45 बजे नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना बड़ागाँव पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 374/20 धारा 60 आबकारी अधि० पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का विवरण-

- लाल परीखन राजभर उम्र 48 वर्ष, पुत्र स्व० देवराज राजभर, निवासी- कविरामपुर, थाना-बड़ागाँव, वाराणसी।

बरामदगी का विवरण –

- 20 ली० अवैध कच्ची शराब नाजायज

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- उ०नि० अनिल कुमार, का० संजय राज व का० प्रिंस यादव थाना बड़ागाँव वाराणसी।

(पी०आर०सेल)

जनपद वाराणसी



प्रेस नोट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण वाराणसी के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी सदर वाराणसी के आदेशानुसार दिनांक 25.08.2020 को थाना जंसा के उ0नि0 आदित्य सिंह मय हमराह का0 विकास कुमार निषाद के थाना स्थानीय से प्रस्थान कर देखभाल क्षेत्र मे मामूर थे कि जरिये मुखबिर व ग्रामवासियों द्वारा सूचना मिली कि कई मुकदमों से सम्बन्धित अभियुक्त ग्राम सोनवर्षा में रोड के पास खड़ा है। इस सूचना पर विश्वास करके थाना जंसा पुलिस ग्राम सोनवर्षा पहुँची तो मुखबिर दूर से इशारा करके हट बढ़ गया। थाना जंसा पुलिस ने उपरोक्त अभियुक्त को समय करीब 15.00 बजे कारण गिरफ्तारी बताकर हिरासत पुलिस में लिया गया। नाम, पता पूछने पर अपना नाम दिनेश लाल उम्र 35 वर्ष पुत्र श्याम प्यारे ग्राम ढोढईपुर चक चमरान थाना बडागाँव वाराणसी बताया। उसके पास से एक मोबाईल फोन बिना सिम के बरामद हुआ जिसका आईएमईआई नम्बर-863793042698460 व 863793042698478 है, को कब्जा पुलिस लिया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना जंसा पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का विवरण-

➤ दिनेश लाल पुत्र श्याम प्यारे, ग्राम-ढोढईपुर चक चमरान, थाना-बडागाँव, वाराणसी उम्र 35 वर्षी

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0स0 -348/20 धारा 302,498ए आईपीसी व 3/4 डीपी एक्ट थाना बडागाँव जनपद वाराणसी।
2. मु0अ0स0- 448/20 धारा 224 भादवि थाना शिवपुर जनपद वाराणसी ।
3. मु0अ0स0- 180/20 धारा 506/507 भादवि थाना जंसा जनपद वाराणसी ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

➤ उ0नि0 आदित्य सिंह व का0 विकास कुमार निषाद थाना जंसा वाराणसी।

(पी0आर0सेल)

जनपद वाराणसी



प्रेस नोट

जनपद वाराणसी में लॉकडाउन के आदेश के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक घूम रहे, गैर जरूरी तौर से होटल/गेस्ट हाऊस/दुकानें खुली रखने वाले संचालकों, कालाबाजारी करने वालों व लॉकडाउन से सम्बन्धित नियमों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए आज दिनांक 25-08-2020 को विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए *कुल 45 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-151 सीआरपीसी* के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया तथा *496 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-188 चालानी रिपोर्ट व धारा-51आपदा प्रबन्ध अधिनियम* के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों, 14 बार्डर प्वाइंट व 49 पुलिस नाकों पर सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए *कुल 1755 वाहनों का चालान, 03 वाहनों को सीज तथा 535 वाहनों से ₹0-4,86,500/- समन शुल्क वसूल* किया गया।

जनपद वाराणसी में लॉकडाउन के आदेश के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक घूम रहे, व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के आदेशानुसार आज दिनांक 25-08-2020 को जनपद वाराणसी लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले तथा बिना मास्क पहने घूम रहे व्यक्तियों के विरुद्ध अभियान चलाकर बिना मास्क धारण किये *कुल 2983 व्यक्तियों से ₹0-2,04,700/- जुर्माना* जमा कराया गया।

(पी0आर0सेल)

जनपद वाराणसी